

# कार्यालय जिला महिला सशक्तिरण/बाल संरक्षण अधिकारी, बालाघाट

(वार्ड न. 10 सरदार वाडा के सामने भटेरा चौकी बालाघाट म0प्र0 फोन नं0-07632-248824)

क्रमांक/ /म0स0/सूचना का अधिकार/2016 बालाघाट दिनांक :- /01/2016  
प्रति,

जिला सूचना अधिकारी  
बालाघाट

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अनुसार जिले की  
वेबसाईट पर जानकारी अपलोड करने बावत्।

संदर्भ:- टीएल दिनांक 11.01.2016 में दिए गए मौखिक आदेश

-----000-----

संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार 2005 की धारा (1) (ख) के प्रावधान  
अनुसार 17 बिन्दुओं की जानकारी जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

जिला महिला सशक्तिरण/बाल संरक्षण  
अधिकारी

बालाघाट

क्रमांक/ /म0स0/सूचना का अधिकार/2016 बालाघाट दिनांक :- /01/2016  
प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त, संचालनालय महिला सशक्तिरण म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर  
प्रेषित।
- 2 कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

जिला महिला सशक्तिरण/बाल संरक्षण  
अधिकारी

बालाघाट

## कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, बालाघाट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

1.	संगठन के कार्य एवं कर्तव्यों का विवरण- जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय, बालाघाट		
	1. आयुक्त महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण म.प्र. भोपाल दूरभाष क्र.- 0755-2551503      बेवसाईट:- <a href="http://www.ladlilaxmi.com">www.ladlilaxmi.com</a> , <a href="http://www.mpwe.com">www.mpwe.com</a> 2. प्रथम अपील अधिकारी- श्री भरत यादव, कलेक्टर जिला बालाघाट दूरभाष क्र.- 07632-240150 3. लोक सूचना अधिकारी- श्री मनोज अहिरवार, जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण अधिकारी बालाघाट दूरभाष क्र.- 07632-248824, मो.न.-9407370193 4. सहायक लोक सूचना अधिकारी- श्री विमल समाधिया, सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण अधिकारी, बालाघाट दूरभाष क्र.- 07632-248824		
	कार्य	महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के तहत शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा।	
2.	अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य तथा अधिकार	कार्यालय की पदस्थापना में पदस्थ निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासन निर्देशों के तहत विभागीय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का समय-सीमा में क्रियान्वयन किये जाने हेतु निम्नांकित कार्य किये जाते हैं।	
	क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
	1	2	3
	1	श्री मनोज अहिरवार	जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण अधिकारी
	2	श्री संजय रम्भाडे	बाल संरक्षण अधिकारी
	3	श्री मनोज खरे	बाल संरक्षण अधिकारी
	4	सुश्री पुष्पलता खरे	परिवीक्षा अधिकारी
	5	श्रीमती शोभा सोनेकर	सहायक ग्रेड-2
	6	श्री योगेश खजरे	सहायक ग्रेड-3
	7	कु. वंदना मेरावी	सहायक ग्रेड-3
	8	श्री युगल किशोर गौतम	सहायक ग्रेड-3
	9	पद रिक्त	लेखापाल
			कर्तव्य
			4
			जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं पदेन जिला बाल संरक्षण अधिकारी
			संस्थानिक देखभाल
			गैर-संस्थानिक देखभाल एवं स्वागतम् लक्ष्मी योजना
			किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति से संबंधित कार्य
			महिला सशक्तिकरण से संबंधित स्थापना शाखा
			लेखा शाखा से संबंधित कार्य
			लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित कार्य
			आवक जावक शाखा एवं लाडली लक्ष्मी योजना के कार्य में सहयोग
			-

	10	श्री मोहित साहू	ऑकड़ा विश्लेषक	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना एवं योजनाओं से संबंधित मासिक रिपोर्ट तैयार करना
	11	पद रिक्त	परामर्शदाता	—
	12	श्री विनोद बरमैया	सामाजिक कार्यकर्ता	लाडो अभियान से संबंधित कार्य
	13	श्री दीपक अग्रवाल	सामाजिक कार्यकर्ता	शौर्या दल एवं उषा किरण योजना से संबंधित कार्य
	14	श्री विमल समाधिया	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	शिकायत शाखा एवं आईसीपीएस स्थापना शाखा से संबंधित कार्य
	15	पद रिक्त	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	—
	16	श्री वीरेन्द्र गोखले	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित कार्य
	17	श्री नीरज स्वामी	आउटरीच कार्यकर्ता	फील्ड वर्क
	18	श्री आशीष सिंगौर	आउटरीच कार्यकर्ता	फील्ड वर्क
	19	श्री कन्हैया बाहेश्वर	भृत्य	—
3	निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण तथा लेखा जोखा शामिल है।			
	म.प्र. शासन द्वारा बनाये गये नियमों, उपविधियों, अधिसूचनाओं एवं न्याय दृष्टान्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है एवं कार्यालय में लेखा संबंधी कार्य सम्पादित किया जाता है।			
4	निर्णय के निर्वहन के लिए तय किये गये मापदण्ड			
	म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1956 के प्रावधानानुसार म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त नियमों के नियम-9 के उपनियम (1) के नियम-12 के उपनियम (2) तथा नियम 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को नियम में लाते हुए कलेक्टर बालाघाट को इस कार्यालय की पदस्थापना में पदस्थ तृतीय (लिपीकीय) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निलंबित करने एवं लघु शास्ती अधिरोपित करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।			

5	<p>कर्मचारियों के लिए उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियम विनियम, निर्देश मेन्चुअल तथा अभिलेख जो संधारित किये गए हैं।</p>	<p>कार्यालयीन प्रक्रिया को नियमानुसार एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए उपयोगी निम्नांकित अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश एवं मेन्चुअल की सूची निम्नानुसार है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965</li> <li>2. म.प्र. अवकाश नियम 1977</li> <li>3. म.प्र. पेंशन नियम 1976</li> <li>4. म.प्र. मूलभूत नियम</li> <li>5. म.प्र. वित्त संहिता</li> <li>6. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण, अपील) नियम 1976</li> <li>7. म.प्र. जी.पी.एफ./डी.पी.एफ नियम</li> <li>8. म.प्र. यात्रा भत्ता/चिकित्सा भत्ता नियम</li> <li>9. म.प्र. भण्डार एवं क्रय नियम</li> <li>10. लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित नियम</li> <li>11. स्वागतम् लक्ष्मी योजना से संबंधित नियम</li> <li>12. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना से संबंधित नियम</li> <li>13. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000</li> <li>14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2002</li> <li>15. घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005</li> <li>16. लाडो अभियान</li> <li>17. शौर्यादल से संबंधित निर्देश</li> </ol>														
6	<p>नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों का क्रमबद्ध प्रपत्र</p>	<p>कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची निम्नानुसार है—</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख एवं उनसे संबंधित पंजीयों</td> <td style="width: 50%;">8. चिकित्सा पंजी</td> </tr> <tr> <td>2. अधिकारी/कर्मचारियों की वेतन देयक पंजी</td> <td>9. आबंटन पंजी</td> </tr> <tr> <td>3. कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी</td> <td>10. स्टॉक पंजी</td> </tr> <tr> <td>4. मासिक बैठक पंजी</td> <td>11. अग्रिम पंजी</td> </tr> <tr> <td>5. योजनाओं की पृथक-पृथक केशबुक</td> <td>12. भण्डार पंजी</td> </tr> <tr> <td>6. बिल पंजी</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. यात्रा देयक पंजी</td> <td></td> </tr> </table>	1. अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख एवं उनसे संबंधित पंजीयों	8. चिकित्सा पंजी	2. अधिकारी/कर्मचारियों की वेतन देयक पंजी	9. आबंटन पंजी	3. कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी	10. स्टॉक पंजी	4. मासिक बैठक पंजी	11. अग्रिम पंजी	5. योजनाओं की पृथक-पृथक केशबुक	12. भण्डार पंजी	6. बिल पंजी		7. यात्रा देयक पंजी	
1. अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख एवं उनसे संबंधित पंजीयों	8. चिकित्सा पंजी															
2. अधिकारी/कर्मचारियों की वेतन देयक पंजी	9. आबंटन पंजी															
3. कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी	10. स्टॉक पंजी															
4. मासिक बैठक पंजी	11. अग्रिम पंजी															
5. योजनाओं की पृथक-पृथक केशबुक	12. भण्डार पंजी															
6. बिल पंजी																
7. यात्रा देयक पंजी																
7	<p>प्रबंधन तथा नीति निर्धारण के संबंध में जनाधार के विचार विमर्श या उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण</p>	<p>सूचना का अधिकार एवं सिटीजन चार्टर के द्वारा की गई कार्यवाही के तहत।</p>														

8	दो या दो से अधिक सदस्यों वाले बोर्ड कौंसिल, कमेटी तथा अन्य निकाय जिनका गठन सलाहकार के रूप में किया गया है और ये बोर्ड कौंसिल, कमेटी या अन्य निकाय की बैठक जनसाधारण के लिए सुलभ है और क्या इनकी कार्यवाही टीप जनता को उपलब्ध होती है।	किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की बालको की देखरेख व संरक्षण से संबंधित कार्यवाहियां की जाती है।		
9	अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दूरभाष सूची	कार्यालय की पदस्थापना में पदस्थ/कार्यरत कर्मचारियों के दूरभाष/मोबाईल नम्बर की सूची निम्नानुसार है-		
क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर	
1	2	3	4	
1	श्री मनोज अहिरवार	जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण अधिकारी	9407370193	
2	श्री संजय रम्भाडे	संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक )	8871260140	
3	श्री मनोज खरे	संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक)	9584815048	
4	सुश्री पुष्पलता खरे	परिवीक्षा अधिकारी	7509116340	
5	श्रीमती शोभा सोनेकर	सहायक ग्रेड-2	7415401372	
6	श्री योगेश खजरे	सहायक ग्रेड-3	9300579552	
7	कु. वंदना मेरावी	सहायक ग्रेड-3	9630554683	
8	श्री युगल किशोर गौतम	सहायक ग्रेड-3	9752735076	
9	पद रिक्त	लेखापाल		
10	श्री मोहित साहू	ऑकड़ा विश्लेषक	9685657097	
11	पद रिक्त	परामर्शदाता		
12	श्री विनोद बरमैया	सामाजिक कार्यकर्ता	7489068305	
13	श्री दीपक अग्रवाल	सामाजिक कार्यकर्ता	9301317999	
14	श्री विमल समाधिया	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	9826865816	
15	पद रिक्त	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक		
16	श्री वीरेन्द्र गोखले	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	9753043085	
17	श्री नीरज स्वामी	आउटरीच कार्यकर्ता	9303804129	
18	श्री आशीष सिंगौर	आउटरीच कार्यकर्ता	8878015737	

		19	श्री कन्हैया बाहेश्वर	भृत्य	-		
10	अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक मानदेय जिसमें नियमों में प्रावधानित मुआवजा भी शामिल है।	क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मासिक वेतन	पारितोषित भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हों
		1	2	3	4	5	6
		1	श्री मनोज अहिरवार	जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण अधिकारी	53088	निरंक	शासन द्वारा निर्धारित
		2	श्री संजय रम्भाडे	संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक)	21000		
		3	श्री मनोज खरे	संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थानिक)	21000		
		4	सुश्री पुष्पलता खरे	परिवीक्षा अधिकारी	21000		
		5	श्रीमती शोभा सोनेकर	सहायक ग्रेड-2	32570		
		6	श्री योगेश खजरे	सहायक ग्रेड-3	18426		
		7	कु. वंदना मेरावी	सहायक ग्रेड-3	19735		
		8	श्री युगल किशोर गौतम	सहायक ग्रेड-3	17872		
		9	पद रिक्त	लेखापाल	-		
		10	श्री मोहित साहू	ऑकड़ा विश्लेषक	14000		
		11	पद रिक्त	परामर्शदाता	-		
		12	श्री विनोद बरमैया	सामाजिक कार्यकर्ता	14000		
		13	श्री दीपक अग्रवाल	सामाजिक कार्यकर्ता	14000		
		14	श्री विमल समाधिया	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	9000		
		15	पद रिक्त	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	-		
		16	श्री वीरेन्द्र गोखले	सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक	9000		
		17	श्री नीरज स्वामी	आउटरीच कार्यकर्ता	8000		
		18	श्री आशीष सिंगौर	आउटरीच कार्यकर्ता	8000		
		19	श्री कन्हैया बाहेश्वर	भृत्य	21106		
11	प्रत्येक एजेन्सी को दिया जाने वाला बजट जिसमें प्लान, प्रस्तावित व्यय तथा किये गए भुगतान का प्रतिवेदन शामिल है।	अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए					
		क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत बजट	व्यय		
		1	2	3	4		
		1	उषा किरण योजना	3.55	3.55		

		2	लाडली लक्ष्मी योजना	3117.48	3117.47
		3	स्वामगतम् लक्ष्मी योजना	4.99	4.99
		4	शौर्या योजना	3.96	3.96
		5	लाडो अभियान	2.03	2.02
		6	समेकित बाल संरक्षण योजना	43.07	39.27
		7	मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना	1.6	1.6
12	अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रणाली जिसमें प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों में संभावित हितग्राहियों का विवरण हो	<p>1. म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल का पत्र क्र. 2585/1869/2012/50-2 दिनांक 20.11.2012 के द्वारा स्नेह छाया, प्रकृति महिला विकास केन्द्र बालाघाट को 50 निराश्रित बच्चों हेतु विभागीय अनुदान से संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप संस्था द्वारा 05.01.2013 से संचालित किया जा रहा है विभागीय मान्यता प्राप्त बाल गृह के संचालन के लिये म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा दिनांक 02.03.2015, 23.03.2015, 05.12.2015 को क्रमशः रुपये 4,81,201/-, 2,61,393/- एवं 89557/- का अनुदान स्वीकृत कर भुगतान किया गया है।</p> <p>2. म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल का पत्र क्र. 247/1993/2013/50-2 दिनांक 12.02.2014 के द्वारा महिला आश्रय गृह बालाघाट को पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय गृह हेतु विभागीय अनुदान से संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है। विभागीय मान्यता प्राप्त महिला आश्रय गृह के संचालन के लिए म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा दिनांक 10.11.2015 को रूपए 231366/- का अनुदान स्वीकृत कर राशि संस्था के खाते में अंतरित की गई है।</p> <p>3. म0प्र0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल का पत्र क्र./658/669/2014/50-2 भोपाल दिनांक 22.05.2015 के द्वारा रमाई खुला आश्रय गृह, प्रबुद्ध विनायति कल्याणकारी संस्था, बालाघाट को स्ट्रीट बच्चों हेतु संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप संस्था द्वारा 31 मई 2015 से संचालित किया जा रहा है।</p>			
13	रियायत, परमिट या अधिकार पत्र जो प्रदाय किये गये हैं उनका विवरण	निरंक			
14	पास उपलब्ध जानकारियों का विवरण जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में बनाया जाता है	निरंक			

15	जनसाधारण को जानकारीया प्राप्त करने के लिए जो सुविधाये उपलब्ध है उनका विवरण जिसमें लायब्रेरी, रीडिंग रूम के कार्य के घंटे यदि वे कार्यरत हो तो	जनसाधारण को कार्यालयीन कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय पर वांछित जानकारीया प्रदाय की जाती है।
16	जनसम्पर्क अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रथम अपील अधिकारी- श्री भरत यादव, कलेक्टर, जिला बालाघाट</li> <li>2. लोक सूचना अधिकारी श्री मनोज अहिरवार, जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण अधिकारी, बालाघाट</li> <li>3. सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री विमल समाधिया, सहा. ऑकड़ा प्रविष्टि प्रचालक, कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण/बाल संरक्षण अधिकारी, बालाघाट</li> </ol>
17	अन्य जानकारीयं जो निर्धारित की जावेगी।	इस कार्यालय द्वारा जिले के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निवासरत बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाकर शासन के ओर से रूपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उषा किरण योजना अंतर्गत डीआईआर फॉर्म भरकर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवाया जाता है एवं निशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। एवं मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत किसी भी पीड़ित महिला को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सके। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) के अंतर्गत निराश्रित, बेसहारा बालकों को चिन्हित कर फोस्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप का लाभ दिया जाता है।

जिला महिला सशक्तिकरण/जिला बाल संरक्षण अधिकारी  
बालाघाट